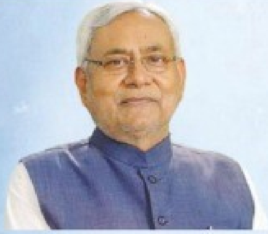

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

चतुर्थ चरण

दूरस्थ आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की योजना

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।

अनुदान की राशि

अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1.00 (एक) लाख रुपये होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है – वाहन का एक्स – शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनो को जोड़ कर कुल राशि। ई–रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 (सत्तर हजार) रु. अनुदान दिया जाएगा।

वाहन का प्रकार

इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा।

लाभुक की अर्हतायें

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों की अर्हतायें निम्नवत होगी:–

- प्रत्येक पंचायत के लिए 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा ।
- जिनमें 3 लाभुक अनुसुचित जाति/जनजाति एवं 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे।
- लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होगी।
- लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।
- लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होना चाहिए।

नोट– किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, सीवान, भागलपुर एवं बांका जिलों में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के कारण इस समय–सारणी के अनुसार आवेदन नहीं लिए जाएंगे। इन जिलों के लिए चतुर्थ चरण की समय–सारणी बाद में प्रकाशित की जाएगी।

योजना की समय सारणी

क्र०सं०	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	पंचायतवार आवेदन करने की तिथि	19.10.2019 तक
2.	प्रखण्ड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण	21.10.2019 - 22.10.2019
3.	प्रखण्ड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण	23.10.2019 से 24.10.2019
4.	अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक	25.10.2019
5.	चयन सूची का प्रकाशन	26.10.2019
6.	आपत्ति आमंत्रण	26.10.2019 - 04.11.2019
7.	आपत्ति निराकरण	05.11.2019 - 06.11.2019
8.	अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन	07.11.2019
9.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला	07.11.2019 - 09.11.2019
10.	वाहन क्रय के पश्चात चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करना	07.11.2019 से लगातार
11.	अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान करना	आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर

आवेदकों के लिए निम्न कागजातों का होना अनिवार्य है।

1. जाति प्रमाण–पत्र	2. आवासीय प्रमाण–पत्र
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र	4. उम्र सबंधित प्रमाण–पत्र
5. ड्राइविंग लाइसेंस (D.L.)	

विस्तृत जानकारी परिवहन विभाग के वेबसाईट **www.transport.bih.nic.in** पर उपलब्ध है तथा साथ ही **D.T.O.** एवं **B.D.O** कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

सचिव
परिवहन विभाग, बिहार

परिवहन विभाग

सड़क सुरक्षा हमारी प्रतिबद्धता प्रदूषण नियंत्रण हमारा सकल्प

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के सम्बंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।